न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—88 / 17 (2017 / 00165) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मियाचन्द मुतबन्ना गोकल जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—नाथु पिता हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सुवा पिता हजारी जाट निवासी रालीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः—11.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रालीखेड़ा तहसील रायपुर मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 209 / 2मीन, 207 / 1मीन, 208 / 2मीन, 199 / 1मीन, 208 / 1मीन, 204 / 1ख, 203 / 2मीन, 209 / 2मीन, 209 / 1, 208 / 2मीन, 202 / 1ख अन्य आराजियात के साथ स्थित थी उक्त आराजी पर प्रार्थी साबिक नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2047 से 2050 तक साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी साबिक आराजी संख्या 204 / 2मीन, 206मीन, 207 / 2मीन भूमि स्थित थी उक्त साबिक आराजियात साबिक नक्शे नम्बरो के पास ही स्थित थी विपक्षी संख्या 1 व 2 साबिक नक्शे के अनुरूप ही काबिज थे। नवीन भू प्रबन्ध होने से ग्राम रालीखेड़ा का भी भू प्रबन्ध हुआ जिससे साबिक आराजी के नवीन नम्बर 435 रकबा 1.19 है0 आराजी संख्या 436 रकबा 1.03 है0 आराजी संख्या 437 रकबा 1.02 है0 कायम हुए इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 के नवीन नम्बर 405 रकबा 0.64 है0, आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0 407 रकबा 0.07 है0 408 रकबा 0.05 है0 409 रकबा 0.54 है0 कायम हुए। भू प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजियात को नवीन नक्शे में गलत फीट कर देने प्रार्थी और विपक्षीगण के बीच सीमा सम्बधी विवाद होने लग गया। अतः सादर प्रार्थना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की जारी की जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे प्रार्थी के साबिक नक्शे के अनुसार मौके पर काबिज होने में किसी प्रकार व्यवधान या बाधा कारित नही करे, उसे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता हरिश टेलर मोहम्मद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अस्वीकार है सीमा सम्बन्धी विवाद प्रार्थी द्वारा करने से विपक्षीगण ने पत्थरगढ़ी करवाई गई जिसमें प्रार्थी का बलात् आधिपत्य पाया गया पत्थरगढ़ी नवीन रेकार्ड अनुसार की गई है प्रार्थी द्वारा कब्जेयाबी को डिकी से बचने व इसे लम्बा करने की गरज से वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानुनन अधिकारी नही है। और मजीद कथन के रूप में अकिंत किया कि भू प्रबनध विभाग द्वारा कोई त्रुटि नही की गई विपक्षी की आराजी नम्बर सही फीट किये है। प्रार्थी द्वारा बलात् आधिपत्य कर लिया है जिसके आधार पर विपक्षीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट के तहत् पेश किया जो विचाराधीन है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी भी कब्जा प्रार्थी का मान रहे है प्रार्थी की ओर से वाद पेश करने बाद विपक्षी द्वारा धारा 183 का वाद पेश किया है मौके पर प्रार्थी के कब्जे में विपक्षीगण द्वारा दखलदांजी करने से उनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावे।

दौराने बहस विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निवदेन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.02.2012 को कब्जा किया है उसके बाद दिनांक 03.05.2012 को पत्थरगढ़ी का आदेश हुआ और मौके पर दिनांक 19.06.2015 को पत्थरगढ़ी करायी गई पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा प्रार्थी का पाया जाने से प्रार्थी द्वारा तुरन्त धारा 88 आरटीएक्ट के तहत् वाद पेश किया जो कानुनी नही है प्रार्थी अतिक्रमी की हैसियत से बैठा हुआ है विपक्षी खातेदार है और खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इसी सन्दर्भ में 2012 (1) सीटी (राज) पेज 308 राजस्थान हाईकोर्ट की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली है अतः इसी अनुसार प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि इस प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षी के साबिक आराजी नम्बर 204 और 207 में दोनो पक्षो के नाम बटा नम्बर के रूप में भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसमें साबिक आराजी नम्बर 204/1 एवं 207/1 की भूमि प्रार्थी के नाम थी और आराजी नम्बर 204/2 व 207/2 विपक्षीगण के नाम पर थी इस प्रकार दोनो पक्ष साबिक आराजियात के खातेदार थे नवीन भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नम्बर 207 प्रार्थी की आराजी नम्बर 435 एवं 436 इसी तरह विपक्षी की आराजी नम्बर 405, 406, 407, 408, 409 साबिक आराजी नम्बर 204 व 207 के कुछ भाग से बने है ऐसी स्थिति में तरमीम एवं मौके में भिन्नता हो सकती है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो रूलिंग पेश की गई है वह राजकीय भूमि से सम्बधित है और वादी के द्वारा भूमि पर जो कब्जा होना दर्शाया है उसे कोई दस्तावेजी सबुत नही है इस प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा साबिक आराजियात से विपक्षी के नवीन नम्बर बने है उससे सम्बधित प्रार्थी साबिक आराजियात का खातेदार काश्तकार था ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक इस प्रकरण में प्रार्थी को अतिक्रमी नही माना जा सकता है विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रूलिंग इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। प्रार्थी मौके पर काबिज है जिसे प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है प्रार्थी को अगर बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णिय क्षति प्रार्थी को हो सकती है सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। और स्वयं विपक्षी भी प्रार्थी का कब्जा मान कर धारा 183 आरटीएक्ट के तहत् वाद पेश किया गया है और वादी का वाद भी विचाराधीन है ऐसी स्थिति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 स्वीकार किया जाकर बहक प्रार्थी विरूद्व विपक्षीगण के इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम रालीखेड़ा पटवार हल्का गलवा के बैरून हल्के आबादी में आराजी संख्या 406 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 407 रकबा 0.07 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 भूमि के रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे और प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे व न अन्य से करावे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.8.20

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.24 14:37:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: